प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग से संबंधित "सतही सिंचाई के परिणामों" के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उसके अन्तर्गत जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 (2020 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।